रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24—दिसम्बर 30, 2005 (पौष 3, 1927)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24—DECEMBER 30, 2005 (PAUSA 3, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

केंद्रीय कार्यालय

मुंबई-400005, दिनांक 9 दिसंबर 2005

सं. गैबैंपवि. 182/मुमप्र(पी.के.)-2005--भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात पर विचार करने के बाद कि जनता के हित में यह आवश्यक है और इस बात से संतुष्ट होने पर कि देश के हित में साख प्रणाली को विनियमित करने के लिए यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धाराओं 45ञ, 45ञक, 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देता है कि 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. DFC118/DG(SPT)-98 में अंतर्विष्ट उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित होता है अर्थात-

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता से जमाराशियाँ स्वीकारने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 4 के उप पैरा (14), के खण्ड (iv) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:

"समस्याग्रस्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जमाराशियों को जोड़ना/एक में मिलाना

(iv)समस्याग्रस्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा एकमात्र/जमाकर्ताओं में से जिसका नाम पहले है और वह उसी (एकमात्र की) हैसियत वाला है के नाम के सभी जमाखातों में शेष राशि को परिपक्वतापूर्व आहरण या ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए एक में जोड़ा जाएगा/सम्मिलित किया जाएगा और एक ही खाता माना जाएगा";

बशर्ते यह प्रावधान, जैसाकि उप पैरा(i) में दिया गया है, किसी जमाकर्ता की मृत्यु होने की दशा में परिपक्वतापूर्व आहरण के मामले में लागू नहीं होगा"।

पी. कृष्णमूर्ति
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

दिनांक 9 दिसंबर 2005

सं. गैबैंपवि. 183/मुमप्र(पी.के.)-2005

भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात पर विचार करने के बाद कि जनता के हित में यह आवश्यक है और इस बात से संतुष्ट होने पर कि देश के हित में साख प्रणाली को विनियमित करने के लिए यह आवश्यक है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2)की धाराओं 45ञ, 45ञक, 45ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देता है कि 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. DFC. 55/DG(O)-87 में अंतर्विष्ट अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित होता है अर्थात-

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ(रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 के पैरा 5ख के उप पैरा(v) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:

"समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशियों को जोड़ना /एक में मिलाना

(iv) समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा एकमात्र/जमाकर्ताओं में से जिसका नाम पहले है और वह उसी(एकमात्र की) हैसियत वाला है के नाम के सभी जमाखातों में शेष राशि को परिपक्वतापूर्व आहरण के प्रयोजन के लिए एक में जोड़ा जाएगा/ सम्मिलित किया जाएगा और एक ही खाता माना जाएगा";

पी. कृष्णमूर्ति
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

दिनांक 9 दिसंबर 2005

सं. गैबैंपवि. 184/मुमप्र(पी.के.)-2005

भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात पर विचार करने के बाद कि जनता के हित में यह आवश्यक है और इस बात से संतुष्ट होने पर कि देश के हित में साख प्रणाली को विनियमित करने के लिए यह आवश्यक है कि विविध गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2)की धाराओं 45ञ, 45ञक, 45ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देता है कि 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. DNBC.39/DG(H)-77 में अंतर्विष्ट उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित होता है अर्थात-

विविध गैर बैंकिंग कंपनियों संबंधी(रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 के पैरा 9ख के उप पैरा(iv) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:

"समस्यागस्त विविध गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशियों को जोड़ना /एक में मिलाना

(iv) समस्याग्रस्त विविध गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा एकमात्र/जमाकर्ताओं में से जिसका नाम पहले है और वह उसी(एकमात्र की) हैसियत वाला है के नाम के सभी जमाखातों में शेष राशि को परिपक्वतापूर्व आहरण या ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए एक में जोड़ा जाएगा/ सम्मिलित किया जाएगा और एक ही खाता माना जाएगा";

बशर्ते यह प्रावधान, जैसाकि उप पैरा(i) में दिया गया है, किसी जमाकर्ता की मृत्यु होने की दशा में परिपक्वतापूर्व आहरण के मामले में लागू नहीं होगा"।

पी. कृष्णमूर्ति
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा

पणजी-403 001, दिनांक 18 नवम्बर 2005

सं. 32-वी-34-11-1-86/सी.बी.आई./37--सूचित किया जाता है कि ई.एस.आई. (जनरल) रेग्युलेशन, 1950 के रेग्युलेशन-10-ए के तहत गोवा क्षेत्र के लिए स्थानीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अवधि अधिसूचना जारी होने के दिन से 3 वर्ष की होगी एवं जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे :

स्थानीय समिति-उत्तर गोवा क्षेत्र

(1) रेग्युलेशन 10-A(i)(a) के तहत
उप श्रम आयुक्त, पणजी, गोवा — अध्यक्ष

(2) रेग्युलेशन 10-A(i)(d) तहत
(क) गोवा चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्ड्रस्टी के प्रतिनिधि — सदस्य
(ख) गोवा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि — सदस्य
(ग) भारतीय मजदूर संघ, गोवा शाखा के प्रतिनिधि — सदस्य
(घ) AITUC, गोवा के प्रतिनिधि — सदस्य
(ड.) बीमा चिकित्सा अधिकारी, पणजी डिस्पेन्सरी — सदस्य

(3) रेग्युलेशन 10-A(i)(f) के तहत
शाखा प्रबंधक, क.रा.बी. निगम, पणजी — सदस्य सचिव

स्थानीय समिति-दक्षिण गोवा

(1) रेग्युलेशन 10-A(i)(a) के तहत
डॉ. विश्वजीत फलदेसाई, सीनियर आर्थोपेडिक्स सर्जन — अध्यक्ष

(2) रेग्युलेशन 10-A(i)(d) के तहत
(क) गोवा चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्ड्रस्टी के प्रतिनिधि — सदस्य
(ख) गोवा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि — सदस्य
(ग) भारतीय मजदूर संघ, गोवा शाखा के प्रतिनिधि — सदस्य
(घ) AITUC, गोवा के प्रतिनिधि — सदस्य
(ड.) बीमा चिकित्सा अधिकारी, पणजी डिस्पेन्सरी — सदस्य

(3) रेग्युलेशन 10-A(i)(f) के तहत
शाखा प्रबंधक, क.रा.बी. निगम, मडगांव — सदस्य सचिव

आदेशानुसार

के. एफ. जानवेकर

क्षेत्रीय कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर-22, दिनांक 29 नवम्बर 2005

सं. 44-वी-34/12/30/89-हित.--यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10-क के अंतर्गत जिला सुन्दरगढ़ में एच. एस. एल. क्षेत्र, राउरकेला की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

1. विनियम 10-क(1)(क) के अंतर्गत
उप जिलाधिकारी, राउरकेला — अध्यक्ष

2. विनियम 10-क(1)(ख) के अंतर्गत
जिला श्रम अधिकारी, राउरकेला — सदस्य

3. विनियम 10-क(1)(ग) के अंतर्गत
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क. रा. बी. औषधालय, राउरकेला — सदस्य

4. विनियम 10-क(1)(घ) के अंतर्गत
(नियोजक प्रतिनिधि)
(i) श्री एस. के. होता, मुख्य कार्मिक प्रबंधक,
(सी एल सी), आर. एस. पी., राउरकेला-II — सदस्य
(ii) डॉ. एस. सी. दाश, वरिष्ठ उप निदेशक
(चिकित्सा), आई जी एच, आर एस पी,
राउरकेला-5 — सदस्य

5. विनियम 10-क(1)(ड.) के अंतर्गत
(कर्मचारी प्रतिनिधि)
(i) श्री प्रभात मल्लिक, सचिव
बनई मजदूर संघ
क्वाटर नं. ए-65, ग्राम/पोस्ट-तेन्सा, जिला-सुन्दरगढ़ — सदस्य
(ii) श्री राजेन्द्रनाथ महांत, राज्य सचिव,
बी एम एस, क्वाटर नं. एफ-37
सेक्टर-IV, राउरकेला-2, सुन्दरगढ़ — सदस्य

6. विनियम 10-क(1)(च) के अंतर्गत
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय,
क. रा. बी. निगम, राउरकेला — सदस्य एवं पदेन सचिव

सी. आर. नाइया
क्षेत्रीय निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
CENTRAL OFFICE

Mumbai-400 005, the 9th December 2005

No. DNBS. 183/CGM(PK)-2005

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45JA, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No.DFC.118/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998 stand amended with immediate effect, as follows, namely -

In the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, in paragraph 4, in sub-paragraph (14), Clause (iv) may be substituted as follows:

"**Clubbing of deposits by a problem non-banking financial company**

(iv) All deposit accounts standing to the credit of sole/first named depositor in the same capacity shall be clubbed and treated as one deposit account for the purpose of premature repayment or grant of loan by a problem non-banking financial company;

Provided that this clause shall not apply to premature repayment in the event of death of depositor as provided in sub-paragraph (i) ."

P. KRISHNAMURTHY
Chief General Manager-in-Charge

Mumbai-400 005, the 9th December 2005

No. DNBS. 183/CGM(PK)-2005

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary so to do, in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45JA, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934(2 of 1934) and all of the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987 contained in Notification No.DFC.55/DG(O)-87 dated May 15, 1987 shall stand amended with immediate effect, as follows, namely-

In the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987, in paragraph 5B, sub-para (v) shall be substituted as follows

"**Clubbing of deposits by a problem residuary non-banking company**

(v) All deposit accounts standing to the credit of sole/first named depositor in the same capacity shall be clubbed and treated as one deposit account for the purpose of premature repayment by a problem residuary non-banking company;

Provided that this clause shall not apply to premature repayment in the event of death of depositor as provided in sub-paragraph (i) ."

P. KRISHNAMURTHY
Chief General Manager-in-Charge

Mumbai-400 005, the 9th December 2005

No. DNBS. 184/CGM(PK)-2005

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No. DNBC. 39 / DG (H)-77 dated June 20, 1977 shall stand amended with immediate effect, as follows, namely –

In the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, in paragraph 9B, sub-paragraph (iv) shall be substituted as follows:

"**Clubbing of deposits by a problem miscellaneous non-banking company**

(iv) All deposit accounts standing to the credit of sole/first named depositor in the same capacity shall be clubbed and treated as one deposit account for the purpose of premature repayment or grant of loan by a problem miscellaneous non-banking company;

Provided that this clause shall not apply to premature repayment in the event of death of depositor as provided in sub-paragraph (i)."

P. KRISHNAMURTHY
Chief General Manager-in-Charge

EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION

REGIONAL OFFICE, GOA

Panaji-403001, the 18th November 2005

No. 32-V-34-11-1-86-CBI/37.—It is hereby notified that the local committee consisting of the following members has been constituted for Goa Region under Regulation–10A of the ESI (General) Regulations, 1950 for a term of 3 years from the date of the notification.

Local Committee North Goa Region

(1) Under Regulation 10-A (1) (a)
Deputy Labour Commissioner
Panaji, Goa. Chairman

(2) Under Regulation 10-A (1) (d)

(a) Representative of Goa Chamber of Commerce & Industry Member

(b) Representative of Goa small scale Industries Association Member

(c) Representative of Bharatiya Mazdoor Sangh of Goa Branch Member

(d) Representative of ATTUC, Goa Member

Insurance Medical Officer
Panaji Dispensary

(3) Under Regulation 10-A (1) (f)
The Branch Manager Member Secretary
ESI Corporation
Panaji

Local Committee for South Goa

1. Under Regulation 10-A (1) (a)
Dr. Vishwajit Faldessai
Sr. Ortho Surgeon Chairman

2. Under Regulation 10-A (1) (d)

(a) Representative of Goa Chamber of Commerce Industry Member

(b) Representative of Goa small scale Ind. Association Member

(c) Representative of Bharatiya Mazdoor Sangh of Goa Branch Member

(d) Representative of ATTUC Goa Member

(e) Insurance Med Officer, Margao Dispensary Member

3. Under Regulation 10-A (1) (f)
Branch Manager
ESI Corporation Maragao Member Secretary

By Order
K. F. JANVEKAR

REGIONAL OFFICE, ORISSA

Bhubaneswar-751022, the 29th November 2005

No. 44-V-34/12/30/89-Bft.—It is hereby notified that the Local Committee, H.S.L. area, Rourkela in the district of Sundargarh set up under Regulation 10-A of the E.S.I. (General) Regulations-1950 has been reconstituted consisting of the following members w.e.f. the date of the issue of this notification.

1. Under Regulation 10-A (I) (a)
Sub-Collector, Rourkela Chairman

2. Under Regulation 10-A (I) (b)
District Labour Officer, Rourkela Member

3. Under Regulation 10-A (I) (c)
IMO In-charge, ESI, Dispn., Rourkela Member

4. Under Regulation 10-A (I) (d)
Employer's representatives
(i) Sri S. K. Hota, Chief Personnel (CLC), RSP, Rourkela-II. Manager

(ii) Dr. S. C. Dash, Sr. Dy. Director (Medical), I.G.H., RSP, Rourkela-5. Member

5. Under Regulation 10-A(I)(e)
Employees Representatives

(i) Sri Prabhakar Mallick, General Secretary, Banai Mazdoor Sangh, Qr. No. A-65, AT/PO-Tensa, Dist. Sundargarh. Member

(ii) Sri Rajendranath Mahanta, State Secretary, BMS, Qr. No. F-37, Sector-IV, Rourkela-2, Sundargarh. Member

6. Under Regulation 10-A (I) (f) Member &
Branch Manager, Branch Office, Ex-Officio Secy.
ESI Corpn., Rourkela.

C. R. NAIYA
Regional Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006